भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 395 का उत्तर

चिक्कबल्लापुर-श्री सत्य साईं प्रशांति निलयम रेल लाइन में तेजी

395. डॉ. के. सुधाकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चिक्कबल्लापुर-श्री सत्य साईं प्रशांति निलयम (पुट्टापर्थी) बड़ी लाइन (103 कि.मी.) में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त लाइन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सी.सी.ई.ए. के समक्ष रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चिक्कबल्लापुर-गौरीबिदनूर बड़ी लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) सरकार द्वारा चिक्कबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लंबित परियोजनाओं की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्यों के पूरा होने में काफी देरी हुई है और यदि हां, तो इसे तेजी से कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

चिक्कबल्लापुर-श्री सत्य साईं प्रशांति निलयम रेल लाइन में तेजी के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में डॉ. के. सुधाकर के अतारांकित प्रश्न सं. 395 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च) रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार/जिला-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

चिक्कबल्लापुर - श्री सत्य साईं प्रशांति निलायम (पुट्टपर्थी) नई रेल लाइन (103 किलोमीटर) का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। कम यातायात अनुमान के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए चिक्कबल्लापुर-गौरीबिदनूर के बीच नई रेल लाइन (44 किलोमीटर) हेतु अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण (एफएलएस) संबंधी कार्य स्वीकृत कर दिया गया है।

रेल परियोजनाओं की स्वीकृति भारतीय रेल की एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं चालू परियोजनाओं की देयताओं, निधियों की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों के आधार पर लाभप्रदता, अंतिम छोर तक संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुचित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं आदि के आधार पर शुरू की जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान कर्नाटक राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुल 6159 किलोमीटर लंबाई की कुल 56 परियोजनाओं (19 नई लाइन और 37 दोहरीकरण) के सर्वेक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में पूरी तरह से/आंशिक रूप से पड़ने वाली 47,016 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 3,840 किलोमीटर लंबाई की कुल 31 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (21 नई लाइन और 10 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरणों में हैं, जिनमें से 1,302 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2024 तक 17,382 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इसमें शामिल है:

(i) 33,125 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,556 किलोमीटर कुल लंबाई की 21 नई लाइन परियोजनाओं में से 395 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2024 तक 7,592 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(ii) 13,891 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 1,284 किलोमीटर कुल लंबाई की 10 दोहरीकरण परियोजनाओं में से 907 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2024 तक 9,791 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

वर्ष 2014 से कर्नाटक राज्य में निधि आबंटन और परियोजनाओं के अनुरूप कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो निम्नानुसार है: -

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के औसत वार्षिक आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	835 करोड़ रुपये/प्रति वर्ष	-
2024-25	7,559 करोड़ रुपये	9 गुना

कर्नाटक राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं को चालू करना निम्नानुसार हैः

अवधि	कमीशन किया गया कुल रेलपथ	कमीशन किया गया औसत रेलपथ	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	565 किलोमीटर	113 किलोमीटर/वर्ष	-
2014-24	1,633 किलोमीटर	163 किलोमीटर/वर्ष	1.44 गुना

किसी रेल सर्वेक्षण का पूरा होना क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी विशेष परियोजना विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए निधि आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

*****